(वाद सं0.-2600/4/28/2022)

13.09.2022

प्रसंगाधीन मामला, डी0एम0 आवास के सामने फजलगंज, सासाराम स्थित टाउन मार्ट द्वारा परिवादी, सरिता देवी के कमरे के निकट लगाए गए ए0सी0 का एग्जॉस्ट फैन को हटाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम** के प्रतिवेदनानुसार **" डी0एम0 आवास के सामने फजलगंज, सासाराम स्थित टाउन मार्ट द्वारा परिवादी के कमरे के निकट लगाए गए ए0सी0 का एग्जॉस्ट फैन को टाउन मार्ट के प्रबंधन द्वारा हटा लिया गया है। इसकी लिखित सूचना भी प्रबंधक द्वारा दी गयी है।"**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ–08–05/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक